दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.

Phone : 022-22708100
22708400
Fax : 022-22700470
Telegram : NIASURANCE
Website : www.newindia.co.in

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यु इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
Regd. & Head Office : New India Assurance Bldg., 87, M.G.Road, Fort, Mumbai - 400 001.

CIN NO.: L66000MH191900000526

सं.क्र.: कोर्पो.एचआरएम/सहायक/2018 **वेबसाइट:www.newindia.co.in**

तारीख: 13 जुलाई, 2018.

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड में सहायकों की भर्ती

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र में अग्रणी साधारण बीमा कंपनी, श्रेणी - 3 संवर्ग में **685 सहायकों** की भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से ओपन मार्केट से आवेदन आमंत्रित करती है.

संभावित तारीखों की अनुसूची निम्नानुसार है :-

विवरण	**संभावित तारीखें**
ऑनलाईन पंजीकरण	16.07.2018 से 31.07.2018 तक (दोनों तारीख शामिल)
आवदेन शुल्क का भुगतान -ऑनलाईन	16.07.2018 से 31.07.2018 तक (दोनों तारीख शामिल)
टियर I ऑनलाईन परीक्षा - (प्रारंभिक परीक्षा)	08 और/ या 09 सितंबर 2018 (संभावित)
टियर 2 ऑनलाईन परीक्षा - (मुख्य परीक्षा)	06 अक्तूबर 2018 (संभावित)
परीक्षा हेतु बुलावा पत्रों को डाऊन लोड करें.	प्रत्येक परीक्षा की तारीख से 10 दिन पूर्व (संभावित) (प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा)

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि विस्तृत विवरणों और अधिक जानकारी के लिए वे कंपनी की प्राधिकृत वेबसाईट www.newindia.co.in पर निरंतर संपर्क में रहें.

उम्मीद्वार केवल ऑनलाईन प्रणाली द्वारा ही आवेदन करें. किसी अन्य प्रणाली से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

चूंकि लिपिकीय वर्ग में भर्ती राज्यों / केंद्र शासित क्षेत्रों के आधार पर की जाती है, **उम्मीदवार केवल एक ही राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र हेतु आवेदन कर सकता है** और उन्हें उसी निश्चित राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र अथवा दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा आबंटित केंद्र से ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा. उदाहणार्थ- यदि उम्मीद्वार ने पश्चिम बंगाल राज्य की रिक्ति के लिए आवेदन किया है तो वह केवल पश्चिम बंगाल के केंद्र से ही उपस्थित हो सकता है और केवल उसी राज्य में रोजगार के लिए विचाराधीन होगा.

श्रेणी के अनुसार कुल रिक्तियाँ (प्रोविजनल) :

अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सामान्य	कुल
105	60	113	375	653

श्रेणी के अनुसार बेकलॉग रिक्तियाँ:

अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
4	10	18	32

दिव्यांग व्यक्तियों (पी डब्ल्यू डी) और भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण प्रचलित सरकारी नियमों के अनुसार लागू होगा.

अ.पि.व. हेतु आरक्षित रिक्तियाँ केवल "नॉन-क्रीमीलेयर" से संबंधित अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगी. "क्रीमीलेयर" से संबंधित अ.पि.व. उम्मीद्वार स्वयं को "सामान्य" श्रेणी में चिन्हित करें.

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई, (प्र.का.)

THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD., MUMBAI (H.O.)

राज्य /केन्द्र शासित क्षेत्र के अनुसार रिक्तियाँ (प्रोविजनल)

क्रमांक	राज्य /केन्द्र शासित क्षेत्र	क्षेत्रीय भाषा	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सामान्य	कुल	उनमें से: पीडब्ल्यूडी: एल.डी (ओ.एच)	वी आई	एच आई	आई डी	ईएक्सएस और डीआईएक्सएस ईएक्सएस (बैकलॉग सहित)	डीएक्सएस (बैकलॉग सहित)	बैकलॉग रिक्तियाँ: अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल
1	आंध्र प्रदेश	तेलुगू	0	2	0	11	13	0	0	1	0	1	6	0	1	0	1
2	असम	असमिया	2	3	3	8	16	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0
3	बिहार	हिन्दी	0	0	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4	चंडीगढ (केंद्र शासित प्रदेश)	हिन्दी / पंजाबी	1	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	हिन्दी	1	3	0	4	8	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0
6	दिल्ली	हिन्दी	6	3	11	20	40	0	0	1	1	4	7	0	0	3	3
7	गोवा	कोंकणी	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
8	गुजरात	गुजराती	4	7	13	24	48	0	0	1	1	26	13	0	0	8	8
9	हरियाणा	हिन्दी	4	0	0	9	13	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	हिन्दी	2	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	हिन्दी / उर्दू	1	1	0	3	5	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
12	झारखण्ड	हिन्दी	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	कन्नड	5	3	12	21	41	0	0	0	1	13	8	3	0	5	8
14	केरल	मलयालम	2	0	7	24	33	0	0	0	1	3	10	0	0	2	2
15	मध्य प्रदेश	हिन्दी	5	6	0	12	23	0	0	1	0	5	6	0	3	0	3
16	महाराष्ट्र	मराठी	17	15	45	78	155	1	1	2	2	68	39	1	5	0	6
17	ओडिशा	ओरिया	3	5	1	10	19	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
18	पंजाब	पंजाबी	10	0	0	11	21	0	1	0	0	4	5	0	0	0	0
19	पुदुचेरी	तमिल	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	अंदमान निकोबार (पोर्ट ब्लेअर)	हिन्दी / अँग्रेजी	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	राजस्थान	हिन्दी	1	4	5	11	21	0	1	0	0	5	5	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	तमिल	25	2	0	56	83	0	1	1	1	24	18	0	0	0	0
23	तेलंगाना	तेलुगु/ उर्दू	3	4	0	18	25	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0
24	त्रिपुरा	बांग्ला	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	हिन्दी	8	0	10	19	37	0	0	1	0	8	9	0	0	0	0
26	उत्तराखंड	हिन्दी	0	1	0	8	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
27	पश्चिम बंगाल	बांग्ला	4	0	4	8	16	0	0	0	1	2	5	0	1	0	1

संक्षिप्तों का मानक:-**अ.जा.**-अनुसूचित जाति, **अ.जजा.**-अनुसूचित जनजाति, **अ.व.पि.**-अन्य पिछडा वर्ग, **पी.डब्ल्यू.डी.**- दिव्यांग व्यक्ति, **ईएक्सएस** -भूतपूर्व सैनिक, **डीआईएसईएक्सएस** -अशक्त भूतपूर्व सैनिक, **डीएक्सएस** - युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रित **एल.डी. (ओ. एच.)** - लोकोमोटर अशक्तता, **वी आई**- दृष्टिहीन और कम दिखना, **एच आई**- बधिर व कम सुनने वाले, **आई डी** - बौद्धिक अशक्तता और विभिन्न अशक्तताएँ।

परिणाम को अंतिम रूप देते समय विभिन्न वर्गों के अंतर्गत आरक्षण, प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा. उक्त रिक्तियां प्रोविजनल हैं और भर्ती के समय पर कंपनी की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों की रिक्तियाँ, यदि कोई है, तो उनमें खाली (अनफिल्ड) रिक्तियां भी शामिल है. मेरिट लिस्ट राज्य और वर्ग के अनुसार बनायी जाएगी. वे उम्मीद्वार जो भर्तीपूर्व परीक्षा में (टियर-I और टियर-2) सफल होते हैं उन्हें क्षेत्रीय भाषा परीक्षा हेतु आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

योग्यता मापदंड

1. राष्ट्रीयता :

कंपनी में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को :-

(ए) भारत का नागरिक, अथवा

(बी) नेपाल की प्रजा अथवा

(सी) भूटान की प्रजा अथवा

(डी) तिब्बत के शरणार्थी जो स्थायी रूप में रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आए अथवा

(इ) भारतीय मूल के व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीका के केन्या, युगांडा, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जांबिया, मलावी, जायरे, इथोपिया और वियेतनाम देशों से स्थानान्तरित होकर स्थायी रुप से भारत में बसने के इरादे से आया हो.

बशर्ते, उम्मीद्वार जो कि उपर्युक्त (बी), (सी), (डी) और (इ) की श्रेणियों से संबंध रखता है, वह व्यक्ति हो, जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो.

2. दिनांक 30.06.2018 को आयु

न्यूनतम आयु : 21 **वर्ष** अधिकतम आयु : **30 वर्ष,** (दिनांक 30.06.2018 को) अर्थात् जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई ,1988 से पहले और 30 जून, 1997 के पश्चात् (दोनों तारीखें समाहित) **नहीं हुआ है,** वे ही आवेदन के पात्र होंगे.

ऊपरी आयु सीमा के लिए छूट निम्नानुसार होगी :-

क्र.	**श्रेणी**	**ऊपरी आयु छूट**
1.	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2.	अन्य पिछडे वर्ग (आरक्षण हेतु पात्र)	3 वर्ष
3.	दिव्यांग व्यक्ति	10 वर्ष
4.	भूतपूर्व सैनिक / अशक्त भूतपूर्व सैनिक	रक्षा सेवा में दी गई सेवा की वास्तविक अवधि +3 वर्ष. (अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष)
5.	विधवा, तलाकशुदा महिला और विधिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया	5 वर्ष
6.	वे व्यक्ति जो जम्मू व कश्मीर राज्य के काश्मीर विभाग में 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान सामान्य अधिवासी रहे हों	5 वर्ष
7.	दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड के वर्तमान कर्मचारी	5 वर्ष

टिप्पणी :-

अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में छूट की अनुमति उक्त मद संख्या 2 (3) से (7) में वर्णित केवल एक बकाया वर्गों की सम्मुचय आयु छूट होगी.

उम्मीद्वार, जिन्हें आयु सीमा में छूट चाहिए, उन्हें क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा के समय या भर्ती प्रक्रिया के दौरान आवश्यक प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ जमा करवानी होगी और मूल प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु कंपनी के आवश्यक्तानुसार प्रस्तुत करने होंगे.

भूतपूर्व सैनिकों हेतु टिप्पणी-:

I. भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जिन्होंने पुन: नौकरी हेतु भूतपूर्व सैनिक दर्जे का लाभ लेने के पश्चात सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी कर ली है उनकी सरकारी कार्यालय में पुन: नौकरी हेतु भूतपूर्व सैनिक दर्जे का लाभ को प्राप्त करने की स्थिति प्रचलित डीओपीटी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी.

II. भूतपूर्व सैनिक को, जो शासकीय सेवाएं आरम्भ करने से पहले एक से अधिक रिक्तियाँ हेतु आवेदन करता है, तत्पश्चात किसी भी रोजगार या नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ ले सकता है. तथापि, यह लाभ उठाने के लिए भूतपूर्व सैनिक को जैसे ही वह कोई शासकीय सेवा आरम्भ करता है तो उसे संबंधित नियोक्ता को स्वघोषणा-पत्र देना होगा जिसमें उसे प्रारंभ की शासकीय सेवा आरम्भ करने के पहले विभिन्न रिक्तियों हेतु किए गए आवेदन के तिथिवार विवरण देने होंगे. इसके साथ ही यह लाभ केवल उन रिक्तियों के मामले में प्राप्त होगा जोकि प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर भरी जाएंगी और जहां कहीं भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होगा.

3. शैक्षणिक अर्हताएं (आवेदन पंजीकरण की तारीख तक) :-

उम्मीद्वार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक / केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जो स्नातक के समकक्ष हो, की न्यूनतम योग्यता प्राप्त की हो. उम्मीद्वार ने एसएससी/एचएससी/ /इंटरमीडिएट /स्नातक स्तर तक अँग्रेजी एक विषय के रूप में उत्तीर्ण की हो. ऊम्मीद्वार को आवेदन पंजीकरण के तारीख तक प्राप्त किए गए शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

जिस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के लिए उम्मीद्वार आवेदन करता ह, उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है. . उम्मीद्वार उस राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना जानता हो. {राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र (जिन रिक्तियोंके लिए उम्मीद्वार आवेदन करता है) की क्षेत्रीय भाषा से उम्मीद्वार परिचित हैं, यह जानने के लिए अंतिम चयन के पूर्व क्षेत्रीय भाषा परीक्षा ली जाएगी. जो उम्मीद्वार क्षेत्रीय भाषा में प्रवीण नहीं होगा उसे अपात्र घोषित किया जाएगा.}

टिप्पणी :-

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले स्वयं यह देख ले कि वे आयु, शैक्षणिक और अन्य पात्रता मापदंडों को पूर्ण करते है और यदि वे अपात्र है तो भर्ती के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

4. <u>परिभाषाएं</u> :-

भूतपूर्व सैनिक : - केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक संशोधन अधिसूचना संख्या 36034/5/85 ईएसटीटी (एससीटी) दिनांक 27.01.1986 (समयसमय-पर संशोधित) में उल्लिखित संशोधित परिभाषा को पूर्ण करते हैं.

अशक्त भूतपूर्व सैनिक :- भूतपूर्व सैनिक जो सैन्यबल में दुश्मनों के विरूद्ध लड़ते हुए या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में लड़ते हुए विकलांग हुए हो उन्हें ही अशक्त भूतपूर्व सैनिक समझा जाएगा.

शहीद सैनिकों के आश्रित : निम्नलिखित सैन्य कार्रवाई में शहीद सैनिकों को सैन्य सेवा संबंधी सैन्य कार्रवाई में शहीद माना जाएगा. (क) युद्ध, (ख) युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई या सीमा पर होने वाली मुठभेड चाहे पाकिस्तान से युद्ध विराम रेखा पर या किसी अन्य देश से, (ग) सशस्त्र शत्रुओं की घुसपेठ के खिलाफ लड़ाई जैसे नागालैंड, मिजोरम आदि में, (घ) विदेशों में शांति सेना अभियान के दौरान, (ड) सुरंगे बिछाने या साफ करने, शत्रुओं की सुरंगे भी. साथ ही सैन्य कार्रवाई के एक माह पहले से व तीन माह बाद तक की अवधि के बीच सुरंग सफाई अभियान भी, (च) वास्तविक सैन्य कार्रवाई के दौरान या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान हिमघात, (छ) आंदोलनग्रस्त अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और (ज) श्रीलंका में सैन्य कार्रवाई के दौरान शहीद आईपीकेएफ कार्मिक कार्रवाई के दौरान सैन्य कार्मिक के मृत्यु के मामले में आरक्षण संबंधी छूट का लाभ उनके आश्रितों द्वारा प्राप्त करने के प्रयोजन में परिवार के सदस्य में उसकी विधवा, पुत्र, पुत्री या उनका नजदीकी संबंधी जो उनके परिवार का समर्थन करने के लिए सहमत है और केवल एक आश्रित द्वारा छूट का उपयोग किया गया है, या किसी भी आश्रित द्वारा छूट का उपयोग नहीं किया गया है, से संबंधित शपथ पत्र क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय देना होगा. शहीद कार्मिक के आश्रितों के लिए उपरी आयु सीमा में छूट उपलब्ध नहीं है.

टिप्पणी : क्षेत्रीय सैन्य कार्मिक को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा, 15.11.1986 से प्रभावी.

टिप्पणी : क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा के समय उम्मीदवारों को उक्त के संबंध में उचित प्रमाणत्र प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे.

दिव्यांग व्यक्तियों की परिभाषा

" दि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीस अधिनियम 2016" (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) के धारा 34 के तहत केवल बेंचमार्क अशक्त व्यक्ति ही आरक्षण के पात्र होंगे. केवल ऐसे व्यक्ति, जिनकी निर्दिष्ट अशक्तता 40% से कम नहीं है और जिन्हे अधिनियम के अनुसार केंद्र / राज्य सरकार के चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो आरक्षण के पात्र होंगे.

तदानुसार निम्न अशक्त उम्मीद्वार आवेदन के पात्र हैं :-

ऐसे लाभों का दावा करने वाले उम्मीदवारों को **क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय / प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर** निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाणपत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तारीख तक या उसके पहले जारी किया गया हो) को प्रस्तुत करने होंगे (अंग्रेजी विज्ञापन के अंत में विनिर्दिष्ट प्रारूप उपलब्ध है)

(ए) क्षीण दृष्टि (दृष्टिहीन और कम दिखना)

(बी) सुनने में क्षीणता (बधिर व कम सुनने वाले)

(सी) लोकोमोटर अशक्तता (लोकोमोटर अशक्तता जिसमें सेरेब्रल पालसी शामिल है, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास.)

(डी) स्वलीनता (ऑटिज्म), बौद्धिक अशक्तता, विशिष्ट शिक्षण आशक्तता, मानसिक रोग.

(इ) (ए) से (डी) के अंतर्गत शर्तो के आधार पर अनेक प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों जिसमें कर्णबधिर -दृष्टिहीनता -प्रत्येक विकलांगताओं के लिए पहचाना गया पद.

टिप्पणी: उपरोक्त दर्शाई गई निर्दिष्ट अशक्तता परिभाषा "दि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीस अधिनियम 2016" (दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016) के अध्याधीन होगा.

5. स्क्राईब का प्रयोग कर रहे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश :-

क्षीण दृष्टि वाले उम्मीद्वार और वे उम्मीद्वार जिनकी लिखने की गति किसी भी कारण से स्थायी रूप में प्रतिकूल रुप से प्रभावित है अपना स्वयं का स्क्राईब स्वयं के खर्चे पर नीचे (ii) एवं (iii) में दर्शाये सीमाओं के अधीन ऑनलाईन परीक्षा के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे सभी मामले जहां स्क्राईब का प्रयोग किया जाता है वहां निम्न नियम लागू होंगे:-

1. उम्मीद्वार को स्वयं के खर्च पर स्क्राईब की व्यवस्था करनी होगी.
2. उम्मीद्वार द्वारा लिया गया स्क्राईब उसी परीक्षा का एक उम्मीद्वार नहीं होना चाहिए. यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर उपर्युक्त बातों का उल्लंघन करते हुए उन्हें पाया जाता है तो दोनों उम्मीद्वार एवं स्क्राईब की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. पात्र उम्मीद्वार और वे उम्मीद्वार जो परीक्षा में सक्राईब की सेवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें निरपवाद रूप से सावधानीपूर्वक अपने आवेदन प्रारुप में इस बात का उल्लेख करना होगा. बाद में किए गए किसी भी प्रकार के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
3. एक उम्मीद्वार के लिए स्क्राईब का कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे उम्मीद्वार के लिए स्क्राईब नहीं बन सकता.
4. स्क्राईब किसी भी शैक्षणिक स्ट्रीम से हो सकता है.
5. दोनों, उम्मीद्वार तथा स्क्राईब को एक उचित आश्वासन देना होगा जिसमें इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि स्क्राईब उपर्युक्त निर्धारित सभी पात्रताओं को पूर्ण करता है. यदि बाद में यह पाया गया कि उसने निर्धारित पात्रता को पूर्ण नहीं किया या तथ्यों को छिपाया है तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी चाहे ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जो भी रहा हो.
6. वे उम्मीद्वार जो स्क्राईब का प्रयोग कर रहे हैं वे परीक्षा के प्रति घण्टे के लिए बीस मिनट प्रतिपूरक समय या अन्यथा जैसी सलाह दी गई हो, पाने के पात्र होंगे.
7. केवल जिन उम्मीदवारों ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण करवाया है उन्हे ही यह छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों को दिया जानेवाला प्रतिपूरक समय प्रणाली आधार पर होगा. यदि उम्मीद्वार ने प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण न किया हो तो परीक्षा संचालित एजेंसी के लिए उन्हें प्रतिपूरक समय देना संभव नहीं होगा. उम्मीद्वार प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकरण नहीं करता है तो उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.

उम्मीद्वार के लिए दिशानिर्देश-

(ii) लोकोमोटर अशक्त और सेरिब्रल पालसी आदि

लोकोमोटर अशक्त और सेरिब्रल पालसी वाले उम्मीदवारों को जहां मुख्य रुप से लिखित कार्य इतना प्रभावित होता है कि लिखने के कार्य की गति धीमी पड जाती है ऐसे उम्मीदवारों को प्रति घंटा 20 मिनट प्रतिपूरक समय दिया जाएगा (न्यूनतम 40% अशक्तता)।

(iii) क्षीण दृष्टि वाले उम्मीदवारों के लिए दिशानिर्देश -

- क्षीण दृष्टि वाले उम्मीद्वार (न्यूनतम 40% अशक्तता) जिन्हें परीक्षा की विषयवस्तु के फोंट को देखने में असुविधा होती है उन्हें उन फोंट को बड़ा करके देखने का विकल्प दिया जा सकता है. उन सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रति घंटे में 20 मिनट प्रतिपूरक समय, या अन्यथा जैसी सलाह दी गई हो, दिया जाएगा.
- क्षीण दृष्टि वाले उम्मीद्वार जोकि परीक्षा में स्क्राईब की सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में विषय वस्तु के फोंट को बडा करके देखने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी.

यह दिशानिर्देश मे परिवर्तन भारत सरकार के समय समय पर दिए गए दिशानिर्देशों / स्पष्टिकरणों, (यदि कोई है) के अध्याधीन होंगे.

6. परीक्षा - पूर्व प्रशिक्षण (गैर आवासीय)

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीद्वार जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड के अपने सुविधाजनक क्षेत्रीय कार्यालय में अपना नाम, अन्य विवरणों सहित, पंजीकृत करवा सकते हैं. हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण हेतु तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण आवेदन प्रारूप के लिए उम्मीद्वार हमारी वेबसाईट www.newindia.co.in का संदर्भ ले सकते हैं. नियत तारीखों और प्रशिक्षण स्थल की जानकारी उम्मीद्वार को पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित तारीखों और स्थल पर प्रशिक्षण स्वयं के खर्च पर प्राप्त करना होगा.

7. चयन प्रक्रिया :

चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा (प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा) पर आधारित होगी. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले उम्मेद्वारों को त्रीय भाषा की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

प्रथम चरण – प्रारंभिक परिक्षा

प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की ऑनलाईन वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी- यह परीक्षा निम्न 3 खंडों में 1 घंटें की अवधि की होगी.

क्र.	परीक्षा का नाम	कुल प्रश्न	अंक	अवधि
1.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	30	30	20 मिनट
2.	तर्क ज्ञान परीक्षा	35	35	20 मिनट
3.	संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा	35	35	20 मिनट
	कुल	100	100	

अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़ कर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में उपलब्ध रहेगी. उम्मीदवार को प्रत्येक परीक्षा में कंपनी द्वारा तय किए गए अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी प्रत्येक वर्ग में कंपनी द्वारा तय किए गए पर्याप्त ,राज्यवार एवं श्रेणीवार संख्या में उम्मीदवारों को चरण-2 मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

चरण दो -मुख्य परीक्षा :

मुख्य परीक्षा (ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा) की संरचना निम्न आधार पर होगी:

क्र.	परीक्षा का नाम (वस्तुनिष्ठ)	कुल प्रश्न	अंक	अवधि
1.	तर्क ज्ञान परीक्षा	40	50	समग्र समय 120 मिनिट
2.	अंग्रेजी भाषा की परीक्षा	40	50	
3.	सामान्य ज्ञान परीक्षा	40	50	
4.	कंप्यूटर ज्ञान	40	50	
5.	संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा	40	50	
	कुल	**200**	**250**	
उपरोक्त अनुसार कुल प्राप्त अंकों को आनुपातिक रूप से 35 अंकों के आधार पर परिवर्तित किया जाएगा.				

ए) मुख्य परीक्षा ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा 250 अंकों की होगी जो 120 मिनट की अवधि में आयोजित की जाएगी.

बी) अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़ कर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में उपलब्ध रहेगी.

सी) सभी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में कुल न्यूनतम अंक (कंपनी द्वारा निर्धारित) प्राप्त करने होंगे.

डी) ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण ऊमीद्वारों को अंतिम चयन से पहले क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए अलग अंक प्रदान नहीं किए जाएगे. यह परीक्षा केवल योग्यता स्वरूप होगी.

इ) मुख्य ऑनलाईन परीक्षा के निष्पादन (परफॉर्मेंस) के आधार पर अंतिम चयन होगा बशर्ते उम्मीद्वार क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में योग्य घोषित हो. केवल पात्रता के मापदण्डों को पूरा करने से उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा एवं क्षेत्रीय भाषा परीक्षा हेतु बुलाये जाने का हकदार नहीं हो सकता.

फ) यदि मेरिट सूची में अंतिम दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त होते है तो आयु में वरिष्ठतम उम्मीदवार को ही आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

टिप्पणी :

गलत उत्तरों के लिए दंड (प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा-दोनों के लिए लागू)

- ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जिन प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है, उन गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक होंगे. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती होगी. अनुत्तरित प्रश्नों हेतु किसी भी अंक की कटौती नहीं होगी.
- परीक्षा के ढांचे को संशोधित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा जिसे वेबसाईट के माध्यम से सूचित किया जाएगा.

राज्यवार श्रेणीवार योग्यता क्रम की सूची (अंतिम मेरिट सूची) उम्मीदवार के ऑनलाईन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी बशर्ते उम्मीदवार क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में योग्य घोषित हुआ हो. वे उम्मीद्वार जो रिक्तियों की संख्या के आधार पर योग्यता क्रम सूची (अंतिम मेरिट सूची) में होंगे, स्वास्थ्य जांच के पश्चात उनकी भर्ती पर विचार किया जाएगा जिसकी सूचना उम्मीदवार को कंपनी की वेबसाइट द्वारा की जाएगी. **उम्मीद्वार से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखा करें**.

उम्मीदवारों की संभाव्यता सूची (कंटिजेंसी सूची) भी तैयार की जा सकती है और यदि किसी उम्मीद्वार द्वारा सेवानियोजन की अस्वीकृति किए जाने पर इसका उपयोग किया जा सकता है.

कृपया नोट करें कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑन लाईन परीक्षा में उपस्थित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी.

1) **निर्धारित तिथि तथा परीक्षा सत्र के लिए वैध बुलावा पत्र**
2) **मूल फोटो - पहचान साक्ष्य (विनिर्दिष्ट) जिसमें बुलावा पत्र / आवेदन फॉर्म के अनुसार वही नाम दर्शाया गया हों और**
3) **उपरोक्त फोटो पहचान साक्ष्य की फोटो प्रति (नीचे दिये गए विवरण के अनुसार)**

•पहचान का सत्यापन :

परीक्षा हाल में बुलावा पत्र के साथ उम्मीदवार वर्तमान वैध फोटो पहचान की मूल और फोटोप्रति जैसे कि पैनकार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/फोटो सहित मूल बैंक पास बुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र/जन प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो सहित पहचान पत्र / मान्यता प्राप्त कॉलेज / यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान कार्ड/ आधार कार्ड या फोटो सहित ई-आधार कार्ड/कार्मिक पहचान पत्र (जिसमे आवेदन पत्र के अनुसार वही नाम दर्शाया हो) सत्यापन हेतु पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करना होगा. उम्मीदवार की पहचान उसके बुलावा पत्र पर दिये विवरण, उपस्थिति सूची व प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेज़ के विवरण के साथ सत्यापित की जाएगी . यदि उम्मीद्वार की पहचान संदिग्ध पाई जाती है तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

इस भर्ती प्रक्रिया में पहचान हेतु राशन कार्ड वैध नहीं होगा.

टिप्पणी : उम्मीद्वार को मूल पहचान साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और फोटो पहचान साक्ष्य की प्रतिलिपि परीक्षा में उपस्थिति के दौरान परीक्षा बुलावा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी इसके बिना उन्हे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीद्वार अवश्य नोट करें कि बुलावा पत्र में दर्शाया गया नाम (पंजीकरण के दौरान दी गई) **पहचान साक्ष्य पर दर्शाए गए नाम से सटीक मिलान हो. नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीद्वार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.**

विलंब से उपस्थित होने वाले उम्मीद्वार अर्थात परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में विनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के पश्चात आनेवाले उम्मीद्वार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी. बुलावा पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा हेतु आरंभ समय से पहले होगा. यद्यपी प्रथम चरण की परीक्षा के लिए 1 घंटे और मुख्य परीक्षा के लिए 2 घंटे की अवधि है, परन्तु उम्मीद्वार को केंद्र पर लगभग 3 से 4 घंटो के लिए रहना पड सकता है जिसमें विभिन्न औपचारिकताएं जैसे सत्यापन और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों को इकठ्ठा करने, लॉगइन निर्देश हेतु आवश्यक समय शामिल होगा.

बायमेट्रिक डाटा - केपचरिंग और सत्यापन

यह निर्णय लिया जा सकता है कि वे उम्मीद्वार जिन्होंने प्राथमिक परीक्षा (प्रथम चरण में) उत्तीर्ण करने के पश्चात मुख्य परीक्षा (द्वितीय चरण में) भाग ले रहे है, उनके बायमेट्रिक डाटा बाएँ अंगूठे का निशान या अन्यथा तथा फोटो ग्राफ लिया जाएगा जो कि क्षेत्रीय भाषा परीक्षा व अंतिम चयन के दौरान सत्यापित किया जाएगा. इससे संबंधित (सुमेल तथा बेमेल) की स्थिति का निर्णय बायमेट्रिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अंतिम होगा और उम्मीद्वार के लिए बाध्यकारी होगा. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया के सुचारु प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निम्न मदों का ध्यान रखें

- यदि उंगलियों में कोटिंग (स्टैंप स्याही, रंग, मेंहदी इत्यादि) है तो उसे अच्छी तरह धो लिया गया हो ताकि परीक्षा / कार्यभार ग्रहण दिवस से पहले कोटिग पूर्ण रूप से साफ कर दी गई हो.
- यदि उंगलिया गंदी या मैली हैं, सुनिश्चित करें कि फिंगरप्रिंट कैपचर करने से पहले (बायमैट्रिक) उन्हें धो और सूखा लिया गया हो.
- यदि प्रमुख उंगली (बाया अंगूठा) में चोट/क्षति आई हो तो तुरंत परीक्षा केंद्र के संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दे. ऐसे मामलों में अन्य उंगलिया, पैर की उँगलियों आदि से कैप्चर किया जा सकता है.
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलिया सूखी हो यदि उंगलिया गीली हो तो प्रत्येक उंगली को सुखा लें.

8. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा :

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण शॉर्टलिस्टेड ऊमीद्वारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो की कंपनी द्वारा चयनित केन्द्रों में आयोजित की जाएगी. शॉर्टलिस्टेड ऊमीद्वारों को परीक्षा केंद्र के नाम तथा पता, समय व तारीख की सूचना हमारी वेब साइट के माध्यम से दी जाएगी.

उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलावा पत्र कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे. कृपया नोट करें कि तारीख, केंद्र इत्यादि के परिवर्तन के संबंध में किए गए अनुरोध को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी तथापि किसी विशेष परिस्थिति में ही परीक्षा की तिथि/समय/स्थल/केंद्र/उम्मीदवारों के सेट इत्यादि में परिवर्तन का विवेकाधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा.

क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इस परीक्षा के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएगे.

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंको को अंतिम वरीयता सूची के लिए स्वीकार किया जाएगा बशर्ते उम्मीद्वार क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में योग्य घोषित हुआ हो. मेरिट सूची में उम्मीदवार पर्याप्त रूप से उच्च होने पर आगे के भर्ती प्रक्रिया के लिए विचारधीन होगा.

9. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (जैसा लागू हो) :

क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय उम्मीद्वार को अपनी पात्रता और पहचान की पुष्टि में निम्न दस्तावेज़ मूल रूप में और स्व:सत्यापित फोटो प्रतियों के साथ निश्चित रूप से जमा करने होंगे, ऐसा ना कर पाने पर उम्मीद्वार को परीक्षा देने कि अनुमति नहीं होगी. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय **उम्मीद्वार द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा न कर पाने पर आगामी भर्ती प्रक्रिया में उसका/उसकी उम्मीदवारी रोक दी जाएगी.**

ए. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए वैध बुलावा पत्र का प्रिंटआऊट.

बी. ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत ऑनलाईन आवेदन फार्म का वैध सिस्टम जनरेटेड प्रिंटआऊट.

सी. जन्मतिथि का प्रमाणपत्र (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी या एसएसएलसी / जन्मतिथि के साथ दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र)

डी. विज्ञापन में दर्शाए अनुसार पहचान को सत्यापित करते हुए फोटो पहचान साक्ष्य की मूल और फोटो प्रति.

इ. आवेदन पंजीकरण से पहले या / तक स्नातक / समतुल्य परीक्षा आदि की शैक्षणिक योग्यता की यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित परिणाम की अंक सूची तथा प्रमाण पत्र जमा करवाने होंगे.

एफ. अ. जा./ अ. ज. जा./ अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र

जी. अ. पि. व. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में प्रमाणपत्र में विशेष रूप से क्लॉज होना चाहिए कि उम्मीद्वार क्रीमीलेयर वर्ग से संबंधित नहीं है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछडी जातियों के आरक्षण के लाभों से वर्जित है. नॉन क्रीमीलेयर क्लॉज से संबन्धित अ.पि.व. जाति प्रमाणपत्र ऑनलाईन पंजीकरण की तिथि के समय वैध होना चाहिए.
प्रमाणपत्र में जाति के नाम का उल्लेख केंद्र सरकार सूची / अधिसूचना के साथ अक्षरत: मेल खाना चाहिए.

एच. **अ. पि व. से संबंधित उम्मीद्वार परंतु क्रीमीलेयर के अंतर्गत आनेवाले तथा / या यदि उनकी जाति केंद्रीय अ.पि.व. सूची में स्थान नहीं पाती है तो अ.पि.व आरक्षण पाने के पात्र नहीं है. वे उम्मीदवार ऑनालाइन आवेदन प्रारूप में अपने वर्ग को सामान्य वर्ग में दर्शायें.**

आइ. दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में जारी अशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन परीक्षा के समय यदि उम्मीद्वार स्क्राईब सेवाओं का उपयोग करता है तो विनिर्दिष्ट प्रारूप में स्क्राईब का विवरण विधिवत भरा जाए.

जे. भूतपूर्व सैनिक उम्मीद्वार : (i) वे उम्मीद्वार जो सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त कर दिये गये है उन उम्मीदवारों को 'प्रारुप ए' के अनुसार प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा. ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय डिस्चार्ज प्रमाणपत्र/पेंशन भुगतान आदेश और वर्तमान/वर्तमान के पहले के रैंक का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे. (ii) वे उम्मीद्वार जो अब भी सैन्य सेवाओं में है और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सक्षम प्राधिकारी से 'प्रारुप बी' में उनका विशिष्ट अवधि नियुक्ति (एसपीई) 'प्रारुप सी' की घोषणा के साथ जमा कराना होगा. ऐसे उम्मीद्वार जिनका एसपीई **31.07.2019** को या उससे पहले पूर्ण हो जाता है वे आवेदन करने के पात्र है. ऐसे उम्मीदवारों को नियोक्ता से रिलीज पत्र व स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा, जिससे यह पता लग सके कि वह भारत सरकार के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के तहत लाभ पाने का पात्र है. (iii) वे उम्मीद्वार जिन्होंने अपने कार्य का प्रारंभिक कार्यसमय पूर्ण कर लिया है और जो विस्तारित कार्य पर है, उन्हें दिये गये 'प्रारुप डी' में प्रमाणपत्र जमा करना होगा. (iv) सैनिक जो कि मोर्चेबंदी में मारे गये या बहुत बुरी तरह से अपाहिज हुए उनके आश्रितों को योग्य दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वे सैनिक के आश्रित हैं जो कि मोर्चेबंदी में मारे गये या बहुत बुरी तरह से अपाहिज हुए तथा एक एफिडेविट देना होगा जिसमें इस बात का उल्लेख करना होगा कि सैनिक के एक आश्रित ने छूट का लाभ उठाया है या किसी भी आश्रित ने उस छूट का लाभ नहीं उठाया है.

के. सरकारी, अर्ध सरकारी / सार्वजनिक एवं अन्य उपक्रमों की सेवाओं के उम्मीद्वार (राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं सहित) को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जमा करना होगा. इसके न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा व्यय है / अन्य प्रकार से देय, स्वीकार्य नहीं होंगे.

एल. 2(6) के अंतर्गत आयु की छूट के लिए पात्र व्यक्तियों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय अथवा भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया के समय अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि जिला अधिकार क्षेत्र जहाँ का वह साधारणतया निवासी है या जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यह बताया जाता है कि उम्मीद्वार 01.01.1980 से 31.12.1989 तक जम्मू एवं काश्मीर राज्य के कश्मीर क्षेत्र का अधिवासी था.

एम. अनुभव प्रमाणपत्र यदि कोई हैं तो

एन. राष्ट्रीयता के आधार पर 1 (बी),(सी),(डी) और (इ) की श्रेणी में आने वाले उम्मीद्वार भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें

ओ. पात्रता के समर्थन में कोई अन्य संबंधित दस्तावेज.

टिप्पणी : यदि उम्मीद्वार उपर्युक्त उल्लिखित पात्रता संबंधी दस्तावेज जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो उसे क्षेत्रीय भाषा परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

10. परीक्षा केन्द्र:

1. संबंधित बुलावा पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ऑनलाईन परीक्षा संचालित की जाएगी.
2. परीक्षा के केन्द्र / स्थान/ दिनांक / सेशन में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
3. प्रतिक्रिया के आधार पर कंपनी अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि वह किसी भी परीक्षा केंद्रों की और /या कुछ अन्य केन्द्रों को अपने विवेकाधिकार पर प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि को देखते हुये रद्द कर सकती है या बढ़ा सकती है.
4. उम्मीद्वार को कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा चाहे उसने उस केंद्र का विकल्प न दिया हो.
5. उम्मीद्वार को परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर स्वयं के जोखिम पर और खर्चे पर उपस्थित रहना होगा और किसी भी प्रकार के घाव या हानि आदि के लिए कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
6. **प्रारंभिक परीक्षा (टियर -I) के लिए केन्द्रों की सूची नीचे दी गई है.**
7. **मुख्य परीक्षा के लिए (टियर-II) परीक्षा केंद्रों की संख्या सीमित हो जाएगी, जिसके बारे में बाद में सूचित किया जाएगा.**
8. केंद्र और परीक्षाओं की तिथियों के परिवर्तन का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा.

किसी भी परीक्षा केंद्र के रद्द होने पर कंपनी अपने विवेकाधिकार से उम्मीदवारों को अन्य परीक्षा केंद्र आबंटित कर सकती है. **टियर-I और टियर-II की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे तथा उम्मीदवारों द्वारा इसे कंपनी की वेबसाइट www.newindia.co.in में दिए गए लिंक से उचित समय पर डाउनलोड किया जाए. उम्मीदवारों को बिना बुलावा पत्र के परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी.**

टिप्पणी : यदि पर्याप्त मात्रा में उम्मीद्वार एक निश्चित केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प का चयन नहीं करते, तो उन उम्मीदवारों को अन्य किसी नजदीकी केंद्र को आबंटित करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित होगा या यदि ऑनलाइन परीक्षा के किसी केंद्र पर उपलब्ध स्थान से अधिक उम्मीद्वार होते हैं तो उन उम्मीदवारों को अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार भी कंपनी के पास सुरक्षित होगा.

राज्य कोड	राज्य/केंद्र शासित राज्य	केंद्र
11	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
12	आंध्र प्रदेश	चिराला, चित्तूर, गुंटूर, हैदराबाद, काकिनाडा, कुर्नूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, तिरुपति, विजयवाडा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम
14	असम	डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर
15	बिहार	आरह, ओरंगाबाद, भागलपुर, बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, मुज्जफरपुर, पटना, पुर्नीया
16	चंडीगढ़	चंडीगढ़, मोहाली
17	छत्तीसगढ़	भिलाई, बिलासपुर, रायपुर
20	दिल्ली	दिल्ली, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गाँव
21	गोवा	पणजी,
22	गुजरात	अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, हिम्मतनगर, मेहसाना, राजकोट, सूरत, वड़ोदरा
23	हरियाणा	अंबाला,फरीदाबाद,गुड़गाँव, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पलवल, सोनीपत, यमुनानगर
24	हिमाचल प्रदेश	बद्दी, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लु, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना
25	जम्मू और कश्मीर	जम्मू, सांबा, श्रीनगर
26	झारखण्ड	बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची
27	कर्नाटक	बेलगांव, बेंगलुरु, बिदर, गुलबर्गा, हुबली, मेंगलुर, मैसूर, शिमोगा, उडिपी
28	केरल	अलप्पुला, कन्नुर, कोच्ची, कोल्लम, कोट्टयम, कोजिकोड, मलप्पुरम, पालक्काड, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम

राज्य कोड	राज्य/केंद्र शासित राज्य	केंद्र
30	मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन
31	महाराष्ट्र	अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातुर, मुंबई/ ठाणे/नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड, नासिक, पुणे, रत्नागिरी, सातारा
36	ओडिशा	बालासोर, बरहमपुर (गंजम), भूबनेश्वर, कटक, धनकनल, राउरकेला, सम्बलपुर,
37	पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी
38	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, संगरूर
39	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर
41	तमिलनाडु	चेन्नई, कोइम्बतूर, डिंडिगुल, कृष्णगिरी, मदुरई, नागरकोइल, नामक्कल, पेरंबलूर, सेलम, तंजावूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तूथूकुडी, वेल्लोर.
42	तेलंगाना	हैदराबाद, कारीमनगर, खम्मम, वारांगल,
43	त्रिपुरा	अगरतला
44	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोइडा, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी,
45	उत्तराखंड	देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुडकी,
46	पश्चिम बंगाल	असनसोल, बहरामपुर (पश्चिम बंगाल), बर्धमान, दुर्गापुर, हुगली, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी

11. <u>आवेदन शुल्क</u>

दिनांक 16-07-2018 से 31-03-2018 तक (दोनों तिथि समाहित) अदा किया जा सकता है.

श्रेणी	आवेदन शुल्क(जीएसटी सहित)
अ.जा/ अ.ज.जा/ पीडब्लूडी/ भूतपूर्व सैनिक	**रु. 100/- (केवल सूचना शुल्क)**
अ.जा/ अ.ज.जा/ पीडब्लूडी/ भूतपूर्व सैनिक को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवार	**रु. 600/- (आवेदन शुल्क जिसमें सूचना शुल्क भी शामिल है.)**

बैंक ट्रांजक्शेन शुल्क यदि लागू होगा तो उसे उम्मीदवार को वहन करना होगा.

एक बार अदा किया गया शुल्क / सूचना शुल्क किसी भी रुप में लौटाया नहीं जाएगा और न हीं वह किसी अन्य परीक्षा या चयन हेतु बचा कर रखा जाएगा. शुल्क भुगतान विकल्प नीचे दिये गए पैरा 12 के तहत विस्तृत किए गए है.

12. आवेदन कैसे करें

विस्तृत दिशा-निर्देश / प्रक्रिया हेतु

ए. आवेदन पंजीकरण.

बी . शुल्क भुगतान .

सी. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड.

ए. आवेदन पंजीकरण

I. पंजीकरण से पूर्व नोट की जाने वाली महत्वपूर्ण मदें:

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, उम्मीद्वार को चाहिए कि:

i) निम्न को स्कैन करें :

- फोटोग्राफ (4.5 cm x 3.5 cm)
- हस्ताक्षर **(सफ़ेद कागज़ पर काले कलम से)**
- बाएं अंगूठे की छाप **(सफ़ेद कागज़ पर काले या नीली स्याही से)**
- हस्त लिखित घोषणा **(सफ़ेद कागज़ पर काले कलम से) (नीचे दिये पाठ के अनुसार)**

यह सुनिश्चित करें कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ नीचे दिए गए **"स्कैन और अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश"** आवश्यक विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं.

ii) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर) में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

iii) बाएं अंगूठे की छाप ठीक ढंग से स्कैन की जानी चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए. (अगर किसी उम्मीदवार का बायां अंगूठा ना हो तो वह आवेदन करने के लिए आपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है)

iv) हस्त लिखित घोषणा के लिए पाठ इस प्रकार है:

"I, ______________________(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid . I will present the supporting documents as and when required."

v) उपरोक्त उल्लिखित हस्त लिखित घोषणा उम्मीदवार की हस्तलेख में और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए. यदि यह किसी और द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया है, तो आवेदन को अवैध माना जाएगा. (दृष्टिहीन उम्मीदवारों के मामले में जो लिख नहीं सकते हैं टाइप किए गए घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ अंगूठे की छाप डाल सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं.)

vi) आवेदन शुल्क /सूचना शुल्क के भुगतान करने के लिए आवश्यक विवरण / दस्तावेज़ तैयार रखें.

vii) वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. हो जोकि भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए. कंपनी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलावा पत्र, आदि भेज सकते है. उम्मीद्वार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी या मोबाइल नंम्बर न होने के मामले में, वह ऑनलाईन आवेदन करने से पहले अपना नया ई-मेल आईडी बनाए और मोबाईल नम्बर रखें और अपना ई-मेल खाता और मोबाईल नंबर भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक बरकरार रखें.

II. आवेदन प्रक्रिया

1. उम्मीद्वार को कंपनी की वेबसाईट www.newindia.co.in "भर्ती विभाग" में **" अप्लाई ऑनलाईन"** पर क्लिक करना होगा जिससे नई स्क्रीन खुलेगी.
2. आवेदन पंजीकरण हेतु **"क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन"** का बटन चुने और नाम, संपर्क विवरण और ई-मेल आईडी, मोबाइल क्र दर्ज करें. स्क्रीन पर अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाएगा. उम्मीद्वार अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करें. अस्थाई पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्शाने वाले ई-मेल और एस.एम.एस. भी भेजे जाएंगे.
3. उम्मीदवार द्वारा एक बार आवेदन पूर्ण न कर पाने के मामले में वे पहले से प्रविष्ट किये गये डाटा को "सेव एंड नेक्स्ट" टैब के माध्यम से सेव करें. ऑनलाईन आवेदन की प्रस्तुति से पहले उम्मीद्वार को निर्देश दिया जाता है कि वह **"सेव एंड नेक्स्ट"** सुविधा के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन फॉर्म में सभी विवरणों को जाँच लें और यदि आवश्यक हो तो उनका संशोधन भी करें. क्षीण दृष्टि वाले उम्मीद्वार अपना आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरें और जाँच करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले अपने सभी विवरणों को सुनिश्चित करें.
4. उम्मीदवारों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे ऑनलाईन आवेदन ध्यानपूर्वक भरें और सभी विवरण स्वयं जाँच करें क्योंकि **"फाईनल सबमिट"** बटन क्लिक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव / मान्य नहीं होगा.
5. आवेदन में उम्मीद्वार का नाम या उसके पिता / पति इत्यादि के नाम की वर्तनी सही हो जैसे कि उसके प्रमाणपत्रों / अंक सूचियों में दिखाया गया हो. किसी भी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.
6. अपने विवरणों को प्रमाणित करें और अपने आवेदन को **" वैलीडेट यूअर डिटेल्स"** पर क्लिक कर सेव करें और **"सेव एण्ड नेक्स्ट बटन"** पर क्लिक करें.
7. मद क्रमांक "सी" में दिये गये फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन और अपलोड करने के विवरण हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु आगे बढ़े.
8. उम्मीद्वार आवेदन फॉर्म के अन्य विवरणों को भरने के लिए आगे बढ़ सकता है.
9. प्रीव्यू हेतु प्रीव्यू टैब क्लिक करें और अंतिम प्रस्तुति से पहले संपूर्ण आवेदन फॉर्म को जांच लें.
10. यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और आप द्वारा अपलोडेड फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर और भरे गये अन्य विवरण सुनिश्चित करने के पश्चात ही केवल **"फाईनल सबमिट"** पर क्लिक करें.
11. **"पेमेंट"** टैब पर क्लिक करें और भुगतान हेतु आगे बढ़ें.
12. **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करें.

बी. शुल्क का भुगतान - ऑनलाईन मोड

1. आवेदन शुल्क का भुगतान आवेदन फॉर्म को पूर्ण करने वाली प्रक्रिया है और यह भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार पूरी की जा सकती है.
2. भुगतान केवल डेबिट कार्ड (रुपे/ वीजा/ मास्टर / मास्टेरो) या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिग / आईएमपीएस /कॅश कार्ड / मोबाइल वालेट के माध्यम से किया जा सकता है.

3. ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में भुगतान सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात, कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त करने का इंतजार करें, दोहरे भुगतान से बचाव हेतु "बैक" या "रिफ्रेश" बटन न दबाएं.
4. सफलतापूर्वक ट्रांजेक्शन पूरी होने **पर ई-रसीद जनरेट** होगी.
5. ई-रसीद जनरेट न होना इस बात को दर्शाता है कि भुगतान रद्द हो गया है. भुगतान के रद्द होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रोविजनल पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए पुन: लॉग ईन करें और भुगतान की प्रकिया को दोहराएं.
6. उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है **कि वे ई-रसीद** और ऑनलाईन आवेदन फॉर्म का **प्रिंट आऊट लें. कृपया नोट करें कि यदि यह जनरेट नहीं होता है तो यह समझें कि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है.**
7. क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं हेतु: सभी प्रभार भारतीय रुपयों में सूचीबद्ध हैं. यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपका बैंक वर्तमान प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार उसे स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर देगा.
8. अपने डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृपया एक बार अपना ट्रांजेक्शन पूरा होने के पश्चात ब्राऊजर विंडों बंद कर दें.
9. शुल्क के भुगतान के पश्चात शुल्क विवरणों सहित आवेदन फॉर्म का प्रिंट लेने की सुविधा है.

सी. स्कैन और अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश :

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को नीचे दी गई विनिर्देशों के अनुसार उसकी तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और लिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) छवि होना आवश्यक होगा.

फोटोग्राफ की छवि

- फोटोग्राफ वर्तमान पासपोर्ट आकार की होनी चाहिए.
- सुनिश्चित करें कि तस्वीर रंगीन होनी चाहिए, प्रमुखत: पृष्ठभूमि सफेद या हलके रंग की हो.
- कैमरे को सीधे देखें और चेहरा ढीला (रीलैक्स) रखें.
- यदि तस्वीर धूप में ली गई है तो सूरज आपकी पिछली तरफ हो, या स्वयं को छावं में रखे ताकि आपकी आंखें झपकें नहीं और कोई गहरी छाया न हो.
- यदि फ्लैश का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि "रेड आई" न हो.
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब न हो और आपकी आंखें स्पष्ट दिखें.
- टोपी, हैट और गहरे रंग के चश्मे स्वीकार्य नहीं है. पगड़ी की अनुमति है परन्तु यह आपके चेहरे को ढके नहीं.
- आकार 200 x 230 पिक्सल (विशेषत:)
- फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 केबी. के बीच में हो.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई ईमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो. यदि फाईल का आकार 50 केबी से अधिक होता है तो स्कैनर की सैटिंग को डीपीआई रिजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि के अनुसार प्रोसेसिंग के दौरान समायोजित करें.

हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और लिखित घोषणा की छवि :

- आवेदक सफेद पेपर पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें.
- आवेदक अपने बाएं अंगूठे की छाप सफ़ेद कागज पर काले या नीले स्याही से करें.
- आवेदक को लिखित घोषणा सफ़ेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में लिखनी है
- हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे की छाप, और हस्त लिखित घोषणा केवल आवेदक द्वारा ही किए जाएं और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं.
- हस्ताक्षर का प्रयोग बुलावा पत्र पर लगाने के लिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो वहां किया जाएगा.
- बुलावा पत्र और परीक्षा के समय उपस्थिती सूची में लिए गए आवेदक के हस्ताक्षर का मेल अपलोड किए गए हस्ताक्षर से होना चाहिए. यदि हस्ताक्षर का मेल नहीं हो पाता तो उम्मीद्वार को अयोग्य घोषित किया जाएगा .
- आकार 140x60 पिक्सल (प्रमुखत:)
- हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे की छाप के फाइल का आकार 10 केबी से 20 केबी के बीच हो.
- हस्त लिखित घोषणा के स्कैन के फ़ाइल का आकार 20 केबी से 50 केबी हो.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन छवि का आकार 50 केबी से अधिक न हो. (हस्त लिखित घोषणा के लिए)
- कैपिटल लेटर (अंग्रेजी के बड़े अक्षर) में हस्ताक्षर / हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी.

उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैनिंग

- स्कैनर का रेसोल्यूशन कम से कम 200 डीपीआई (डॉट प्रति इंच) पर सेट करें
- रंग को ट्रू कलर पर सेट करे
- फाईल का आकार उक्तानुसार विनिर्दिष्ट हो.
- फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे की छाप/ हस्त लिखित घोषणा की छवि के किनारे तक इमेज को स्कैनर में क्रोप करें फिर अपलोड एडिटर का प्रयोग करते हुए इमेज का अंतिम साईज क्रोप करें (जैसा उल्लेख किया गया है)
- फाईल की छवि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए. उदाहरण के लिए यदि फाईल का नाम इमेज01.जेपीजी या इमेज01.जेपीईजी है तो छवि का आकार सूचिबद्ध फोल्डर फाईलो के अनुसार जांच कर लें या माउस को फाईल ईमेज आईकन पर ले जाएं.

उम्मीद्वार जो एमएस विंडोज/एमएस ऑफिस का प्रयोग कर रहे है वे आसानी से दस्तावेजों को जेपीईजी फॉर्मेट में, 50 केबी (फोटोग्राफ और हस्त लिखित घोषणा) और 20 केबी (हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे की छाप) से अधिक नहीं, विशेषत: एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मेनेजर से प्राप्त कर सकते हैं. स्कैन किए गए फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप, हस्त लिखित घोषणा जो किसी भी फॅार्मेट में है , उसे जेपीजी फॉर्मेट में `सेव ऐज` विकल्प मे से फाईल मेन्यु में सुरक्षित कर सकते हैं. फोटोग्राफ का आकार 50 केबी और हस्ताक्षर का आकार 20 केबी से कम और क्रॉप का प्रयोग करते हुए, री साईज का विकल्प चुनते हुए किया जा सकता है. (कृपया ईमेज मेन्यु मे पिक्सल साईज हेतु उक्त मद देखें. समान विकल्प अन्य फोटो एडिटर मे भी उपलब्ध हैं).

• अगर फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा.

यदि फाईल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित निर्देश के अनुसार नहीं है, तो एरर का संदेश प्रदर्शित होगा.

ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने के दौरान उम्मीद्वार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और हस्त लिखित घोषणा अपलोड करने हेतु लिंक प्रदान किया जाएगा.

अपलोड करने की प्रक्रिया

- फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और हस्त लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक दिया जाएगा.
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "अपलोड फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर /बाएं अंगूठे की छाप / हस्त लिखित घोषणा"
- जहां फोटोग्राफ/ हस्ताक्षर /बाएं अंगूठे की छाप / हस्त लिखित घोषणा फाईल सेव की गई है उस स्थान पर ब्राऊज कर सिलेक्ट करें.
- फाईल पर क्लिक कर उसे सिलेक्ट करें.
- "ओपेन / अपलोड" बटन पर क्लिक करें.

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे की छाप और निर्दिष्ट लिखित घोषणा को निर्दिष्ट न करें.

टिप्पणी:

(1) यदि तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे की छाप या हस्त लिखित घोषणा में चेहरा अस्पष्ट / धुंधला है तो उम्मीदवार के आवेदन को खारिज कर दिया जा सकता है.

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे की छाप / हस्त लिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि छवियां स्पष्ट हैं और सही तरीके से अपलोड की गई हैं. यदि तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे की छाप या हस्त लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार अपना आवेदन संपादित कर सकता है और फॉर्म जमा करने से पहले उसकी तस्वीर या हस्ताक्षर पुनः अपलोड कर सकता है.

(3) ऑनलाइन पंजिकरण करने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट लेने सलाह दी जाती है.

टिप्पणी : कृपया नोट करें कि ऑनलाईन आवेदन में वर्णित विवरण जिसमें उम्मीद्वार का नाम, श्रेणी, जन्म तारीख, पता, मोबाईल नंबर, ई-मेल आई डी, परीक्षा केन्द्र आदि लिखा गया है को अंतिम माना जाएगा और एक बार ऑनलाईन आवेदन फार्म जमा कर देने के पश्चात किसी प्रकार के परिवर्तन /संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी. अत: उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन पूर्ण सावधानी से करें क्योंकि इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा. आवेदन में गलत और/या अपूर्ण विवरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम या आवेदन फार्म में दिए गए आवश्यक विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी. किसी भी संदर्भ में ऑनलाईन आवेदन यदि अधूरा होता है जैसे ऑनलाईन आवेदन में बिना उचित आकार की फोटोग्राफ और अपलोडेड हस्ताक्षर / असफल शुल्क भुगतान आदि, विचाराधीन और मान्य नहीं होगा. उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अंतिम तारीख की समाप्ति से काफी पहले ऑनलाईन आवेदन करें और शुल्क / सूचना शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख का इंतजार न करें ताकि इंटरनेट / वेबसाईट पर भारी लोड / जैम के कारण वेबसाईट पर लॉगईन फेल्यूअर / असमर्थता / डिसक्नेक्शन होने की संभावना से बचा जा सकता है. उक्त वर्णित कारणों या अन्य किसी कारण से यदि उम्मीद्वार अंतिम तारीख तक अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा. कृपया नोट करें कि केवल उक्त ऑनलाइन प्रक्रिया ही आवेदन करने की वैध प्रक्रिया है. अन्य किसी प्रक्रिया से आवेदित या अधूरी प्रक्रिया से किये गये आवेदन रद्द कर दिये जाएंगे. उम्मीद्वार द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तुत की गयी कोई भी जानकारी उम्मीद्वार के लिये व्यक्तिगत रुप से बाध्य होगी और बाद में किसी भी स्तर पर उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी / दिये गये विवरण यदि गलत पाये जाते हैं उस मामले में उत्पन्न अभियोजन / सिविल परिणाम के लिए उम्मीद्वार स्वयं उत्तरदायी होंगे.

बुलावा पत्र डाऊनलोड करना

ऑनलाईन परीक्षा (टियर-I और टियर-II के लिए अलग-अलग) बुलावा पत्र डाऊनलोड करने हेतु उम्मीद्वार हमारी वेबसाईट **www.newindia.co.in** पर संपर्क करें. बुलावा पत्र डाऊनलोड करने की सूचना ई-मेल/ एसएमएस द्वारा भी दी जाएगी. उम्मीद्वार द्वारा संबन्धित लिंक पर क्लिक करने पर बुलावा पत्र डाऊन लोड करने की विंडो खुलेगी. बुलावापत्र डाऊन लोड करने हेतु उम्मीद्वार का (i) पंजीकरण संख्या / अनु.क्रमांक, (ii) पासवर्ड / जन्म तारीख आवश्यक है. प्रमुखत: पंजीकरण के दौरान लगाई गयी वर्तमान पहचान योग्य फोटोग्राफ ही बुलावा पत्र पर चिपकाएं और परीक्षा केन्द्र में (i) बुलावा पत्र (ii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य जैसे कि पहचान सत्यापन और बुलावा पत्र में उल्लिखित है तथा (iii) मूल फोटो पहचान साक्ष्य की एक फोटोप्रति साथ में लाएं.

13. <u>कदाचार में दोषी पाये जाने वाले उम्मीदवारों/ गलत स्त्रोत के प्रयोग के विरुद्ध कार्रवाई</u>

उम्मीदवारों को यह परामर्श दिया जाता है कि आवेदन फॉर्म भरने के दौरान दिये गये विवरण में स्वयं के हित में वे किसी प्रकार की गलत बयानी, हेरफेर, जालसाजी या किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को दबाने का प्रयास न करें.

परीक्षा और क्षेत्रीय भाषा परीक्षा अथवा अग्रिम भर्ती प्रक्रिया के समय यदि उम्मीद्वार निम्न का दोषी है / पाया जाता है

- परीक्षा के दौरान गलत स्रोत का प्रयोग या
- छद्मरुप या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छद्मरुप धारण करने या
- परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा की विषय वस्तु को प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, संचारित करना, स्टोर करना, या संचारित करने में सहयोगी होना तथा परीक्षा की विषय वस्तु को स्टोर करना या उसमें पूर्ण रूप से ऐसी कोई सूचना या उसके किसी अंश को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी माध्यम, मौखिक या लिखित, ईलेक्ट्रोनिक रूप में मशीनी रूप में या
- उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित स्रोतों का प्रयोग या
- किन्हीं गलत स्रोतों से उम्मीद्वार मदद प्राप्त करता है या
- मोबाइल फोन या समान संचार के ईलेक्ट्रोनिक उपकरणों को परीक्षा हॉल में लाना.

ऐसा उम्मीद्वार स्वयं ही आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा, इसके अतिरिक्त वह निम्न के लिए भी स्वयं जिम्मेदार होगा:

i. परीक्षा से अयोग्य करार दिया जाएगा जिस परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी है.

ii. दि न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा या भर्ती के लिए उसे स्थायी रुप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए डीबार कर दिया जाएगा.

iii.सेवा से निष्काषित कर दिया जाएगा, यदि उसने पहले ही कंपनी में सेवाभार ग्रहण कर लिया है.

14. अ.ज. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / पीडब्ल्यूडी हेतु विशेष दिशानिर्देश: -

ए. अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. उम्मीद्वार निम्नलिखित प्राधिकारियों से जाति संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं :

- जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी/उपायुक्त/उप जिलाधिकारी/प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मैजिस्ट्रेट/तालुका मैजिस्ट्रेट/उच्च मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टायपेन्डरी मैजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं).
- मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट/अध्यक्षीय मैजिस्ट्रेट.
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो.
- उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीद्वार और / या उसका परिवार सामान्यत: रहता है.
- जहां तक तमिलनाडु की अनुसूचित जनजाति का संबंध है, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के एवज में राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र ही स्वीकार्य होगा.

टिप्पणी: राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश, जहाँ से जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है, के उचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल जाति वैधता प्रमाणपत्र, स्वत: सत्यापित फोटोप्रति सहित, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय प्रस्तुत करना होगा.

बी. ऐसे उम्मीद्वार जो अ.पि.व. के अंतर्गत आरक्षण चाहते हैं उन्हें "ओबीसी स्टेटस और नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस" के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि डीओपीटी का.ज्ञा.संख्या 36012/22/93-स्था(एससीटी) तारीख15/11/1993 {संशोधित वाया का.ज्ञा.संख्या 36033/1/2013-स्था(अवा) तारीख 13/09/2017} द्वारा जारी किया गया हो.

ऐसे उम्मीद्वार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रारुप में घोषणा भी प्रस्तुत करनी है :

" मैं ________ पुत्र / पुत्री श्री ____________ गांव / नगर / शहर का निवासी ________ जिला __________ राज्य एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं _________ समुदाय से संबंध रखता हूं जिसकी पहचान भारत सरकार द्वारा सेवा में आरक्षण के प्रायोजन हेतु पिछड़े वर्ग के अंतर्गत की गयी है जो कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था (एससीटी) तारीख 08.09.1993" {संशोधित वाया का.ज्ञा.संख्या 36033/1/2013-स्था(अवा) तारीख 13/09/2017} द्वारा जारी किया गया हो.

प्रमाणपत्र वित्त वर्ष 31.03.2018 के आय के लिए "नॉन क्रीमीलेयर क्लॉज़ " पर आधारित हो.

सी. दिव्यांग व्यक्तियों हेतु:- जिला स्तर के मेडिकल बोर्ड के प्राधिकृत सत्यापन प्राधिकारी होंगे जिसमें मुख्य मेडिकल अधिकारी, जिले के उप मंडलीय मेडिकल अधिकारी और ऑर्थोपेडिक/ ऑपथालमिक/ ईएनटी सर्जन शामिल होंगे.

क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय पर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में कृपया परिशिष्ट में दर्शाये गये निर्धारित फॉर्मेट (अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक) में ही प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाएं. इन श्रेणियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रमाणपत्र केवल इन्हीं फॉर्मेट में प्रस्तुत करें.

15. परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) :-

नव नियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि न्यूनतम छ:माह होगी. परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले नये भर्ती किये गये कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की जांच होगी और जिनका निष्पादन कंपनी की अपेक्षा अनुसार नहीं होगा उनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जा सकती है.

परिवीक्षा अवधि के दौरान जो उम्मीद्वार कंपनी से त्यागपत्र देते हैं और जिन उम्मीदवारों को कंपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान निलंबित करती हैं तो उसे कंपनी में प्रदान की गयी पूर्ण सेवा के दौरान दिये गये वेतन के समतुल्य राशि एवं अतिरिक्त रु. 25,000/- प्रशिक्षण के आंशिक खर्च के रुप में अदायगी करनी होगी. वर्तमान कार्मिक के वास्तविक पद को बनाये रखने के लिए किसी लियन/बॉंड के लिये कंपनी बाध्य नहीं होगी और उसे कोई छूट्टी, वेतन या पेंशन का अंशदान नहीं दिया जाएगा.

16. **पारिश्रमिक और लाभ :-**

i. **वेतनमान : 14435-840(1)-15275-915(2)-17105-1030(5)-22255-1195(2)-24645-1455(3)-29010-1510(2)-32030-1610(5)-40080.**

ii. **पारिश्रमिक** : प्रारम्भिक स्तर पर महानगरीय केन्द्रों में कुल पारिश्रमिक **प्रतिमाह** लगभग **रु.23,500/-** होगा. अन्य भत्ते तैनाती स्थल के आधार पर भिन्न हो सकते हैं. भत्तों के अलावा अन्य लाभ होंगे जैसे कि एकमुश्त घरेलु चिकित्सा लाभ, अस्पताल में भर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए समूह मेडिक्लेम पॉलिसी की सदस्यता, एलटीएस तथा अन्य स्टाफ हित लाभ इत्यादि जोकि कंपनी के नियमों के अनुसार होंगे.

17. **सामान्य सूचना:**

i. परीक्षा प्रशासन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना को पूर्णत: नकारा नहीं जा सकता जिसका प्रभाव परीक्षा देने और / या परिणाम तैयार करने पर हो सकता है. ऐसी घटना पर कठिनाई को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीद्वार को किसी अन्य केन्द्र में स्थानांतरित करना शामिल है या, यदि आवश्यक हो तो, अन्य परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है. इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा. ऐसे परिवर्तन को स्वीकार न करने के इच्छुक उम्मीद्वार परीक्षा हेतु अपनी उम्मीदवारी खो देंगे.

ii. भर्ती से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्य होगा. इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार या व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होंगी.

iii. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, विभिन्न सत्रों में प्राप्त अंकों को परीक्षा के विभिन्न सत्रों के स्तरों के कठिनाई स्तर को समान स्तर पर लाने के लिए समायोजित करने पर मामूली अंतर आएगा. नोड्स की क्षमता कम है या केन्द्र पर कोई तकनीकी व्यवधान आ जाता है तो उम्मीदवार के लिए एक से अधिक सत्र लिये जाने की आवश्यकता हो सकती है.

iv. एकल उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया (उत्तरों) का विश्लेषण अन्य उम्मीद्वारों के साथ, सही और गलत उत्तर के पैटर्न की समानता का पता लगाने के लिए किया जाएगा. इस संबंध में अपनायी गयी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में यदि यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तर का आपस में मिलान किया गया है तथा प्राप्तांक प्रामाणिक/वैध नहीं है तो कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संबंधित उम्मीद्वार की उम्मीदवारी रद्द कर सकती है और ऐसे उम्मीदवारों का परिणाम रोक रखा जाएगा.

v. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में उम्मीद्वार द्वारा गलत सूचना प्रदान करने के दृष्टांत सामने आते हैं तो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा और भविष्य में उसे दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड की किसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे दृष्टांतों का पता नहीं चल पाता परंतु बाद में ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं तब ऐसी अयोग्यता पहले से ही प्रभावी होगी.

vi. पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करते समय उम्मीद्वार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह निर्धारित तिथियों तक उपर्युक्त पात्रता को पूर्ण करता हैं और उसके द्वारा दी गई जानकारी सभी मामलों में सही है. यदि भर्ती के किसी चरण में यह पता चल जाता है कि उम्मीद्वार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता और /या उसने गलत / झूठी जानकारी दी है या किन्हीं तथ्यों को छुपाया है तब उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. यदि नियुक्ति के बाद भी कमियाँ पायी जाती हैं तो उसको सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा.

vii. उम्मीदवारों के हित को ध्यान मे रखते हुए उन्हे सूचित किया जाता है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि से काफी पहले ही ऑनलाईन आवेदन कर लें और अंतिम तिथि तक आवेदन करने का इंतजार न करें क्योंकि अंतिम तिथि वाले दिन इंटरनेट पर लोड बढने के कारण वेबसाइट पर लॉग-इन करने में असमर्थता/ विफलता/ डिसक्नेक्शन जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है.

viii. किसी भी कारणवश यदि उम्मीद्वार अपना आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कर पाने में असमर्थ होता है तो कंपनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी.

ix. उम्मीद्वार एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा. एक से अधिक आवेदन के मामले में केवल अंतिम वैध (पूर्ण रूप से) आवेदन मान्य होगा तथा एक से अधिक अन्य पंजीकरणों के मामले में आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा .

x. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान संपर्क के लिए वे अपना पंजीकृत ई-मेल आयडी तथा मोबाइल नम्बर सक्रिय रखें.

xi. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाईन मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते की वे क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा में योग्य घोषित हुए हो. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपने विवेकाधिकार से जहॉ कहीं आवश्यक हो किसी अन्य परीक्षा का आयोजन, कोई केंद्र जोड़, हटा या आबंटित कर सकती है.

xii. ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीद्वार का दाखिला प्रोविजनल तौर पर होगा और यह उम्मीद्वार की आयु/अर्हता/श्रेणी (अ.ज./ अ.ज.जा/ अ.पि.व/ पीडब्लूडी/ इएक्सएस) से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बिना होगा.

xiii. क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के लिए बुलाये गये उम्मीद्वारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय आयु/ अर्हता/ श्रेणी आदि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. वे उम्मीद्वार जो (अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.) के तहत आरक्षण पाना चाहते है वे निर्धारित प्रारुप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र, जाति वैधता प्रमाणपत्र के साथ जमा करें और उक्त जाति प्रमाणपत्र में उस नियम/आदेश का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके तहत उम्मीद्वार की जाति को (अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व) घोषित किया गया हो और उम्मीद्वार जिस गॉव /कस्बे का मूल निवासी है इसका भी स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिए.

xiv. यदि किसी भी चरण पर जाती प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो उम्मीद्वार की उम्मीदवारी अपने आप निरस्त मानी जाएगी.

xv. उम्मीद्वार को अपने ही खर्च पर परीक्षा में उपस्थित रहना होगा. अ. जा. /अ.ज.जा./पी डब्ल्यू डी के उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर उम्मीदवारों द्वारा यात्रा का सबूत (रेल/बस की टिकट /रसीद इत्यादि) प्रस्तुत करने पर उन्हें स्लीपर क्लास का जाने व आने का न्यूनतम दूरी का रेल/बस किराया दिया जाएगा.

xvi. उम्मीद्वार जो कि सरकारी /अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक व वित्तीय संस्थाएं भी सम्मिलित हैं) तथा अन्य संस्थाओं में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र क्षेत्रीय भाषा परीक्षा के समय जमा कराना होगा. ऐसा न कर पाने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि कोई यात्रा भत्ता देय है तो वह भी नहीं अदा किया जाएगा. चयन किये गए उम्मीद्वार को कंपनी में कार्यारंभ के समय अपने नियोक्ता (सरकारी/सार्वजनिक /निजी)द्वारा जारी सेवामुक्त पत्र /कार्य मुक्त पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बिना उम्मीद्वार को कंपनी में कार्यारंभ नहीं करने दिया जाएगा.

xvii. चयनित उम्मीद्वार की नियुक्ति उनके चिकित्सकीय रुप से स्वस्थ पाये जाने के अधीन होगी. जोंकि कंपनी की एक आवश्यकता है. ऐसी नियुक्ति कंपनी की सेवाओं और आचरण नियमों के अधीन होगी.

xviii. पात्रता, ऑनलाईन परीक्षा के संचालन, अन्य परीक्षा और चयन से संबंधित सभी मामलों में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा. उम्मीद्वार की ओर से किसी प्रस्तुतीकरण / पत्र व्यवहार पर कंपनी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा.

xix. कंपनी को यह अधिकार रहेगा की वह चयनित उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदित किए गए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में कहीं पर भी तैनात करें. तैनाती स्थान में परिवर्तन के लिए तथा कार्यग्रहण के समय मैं विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकारा नहीं जाएगा.

xx. किसी भी उम्मीद्वार को भारत में कहीं पर भी स्थानान्तरित करने का हक कंपनी के पास सुरक्षित है, यहां तक कि प्रथम तैनाती स्थान पर तीन वर्ष की अवधि पूर्ण न हुई हो तब भी.

xxi. किसी विधि, दावे की प्रक्रिया में और / या विज्ञापन के संदर्भ मे उठे विवाद के संबंध मे आवेदन, कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई के न्यायालय/ न्यायाधिकार/ अदालत में ही किया जा सकता है.

xxii. चयनित उम्मीद्वार कंपनी के प्रचालित सेवा नियमो की शर्तों और प्रतिबंधों द्वारा शासित होंगे.

xxiii. परीक्षा हॉल में मोबाईल फोन, कैलक्यूलेटर या ऐसे किसी भी साधन का प्रयोग वर्जित है. परीक्षा हॉल में जाने के पहले उम्मीदवारों की जांच की जाएगी ताकि निम्न का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

ए) जहां परीक्षा का संचालन किया जाएगा उस परिसर के अंदर मोबाईल फोन या अन्य किसी प्रकार का साधन लेकर जाने की अनुमति नहीं हैं इनमे से किसी भी आदेशों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं प्राप्त होगी

बी) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन तथा अन्य प्रतिबंधित वस्तु लेकर न आए, परीक्षा स्थल पर इन्हें सुरक्षित रखने कि सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.

xxiv. ऑनलाइन परीक्षा / क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में उम्मीद्वार का प्रवेश प्रोविजनल है. जारी बुलावा पत्र से यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि कंपनी ने उम्मीद्वार को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है.

xxv. कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित हैं कि वह उपर्युक्त भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय बिना किसी कारण बताए रद्द कर सकती है.

किसी भी विसंगति के मामले में, हमारी वेबसाइट www.newindia.co.in के भर्ती खंड में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन को अंतिम माना जाएगा.
उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु हमारी वैबसाइट पर संपर्क करें.
किसी भी प्रकार से की गई याचना को अयोग्य माना जाएगा.

उप महाप्रबन्धक
कॉर्पोरेट एचआरएम
मुंबई

टिप्पणी: जाति प्रमाणपत्र, विकलांगता /अशक्तता प्रमाणपत्र, सेवानिवृत्त आदि प्रमाणपत्रों /घोषणाओं के प्रारूप हमारे वैबसाइट में उपलब्ध अंग्रेजी विज्ञापन के साथ संलग्न है. किसी भी प्रकार की कानूनी विवेचना के लिए अंग्रेजी रुपांतर मान्य होगा.